

पत्रसं०-ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०)मु०-20/स०प०/धान करापवंचन/16-17/

२१०९

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०

(वि०अनु०शा०-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ०२ दिसम्बर, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय से निर्गत परिपत्र संख्या-1466 दिनांक 13-11-2013, परिपत्र संख्या-1526 दिनांक 03-12-2013, परिपत्र संख्या-2593 दिनांक 08-01-2015 एवं परिपत्र सं० 2445 दि० 01-01-2016 का संदर्भ लें जिसके द्वारा धान के सम्यवहारों की प्रभावी जाँच हेतु निर्देश निर्गत करते हुये यह अपेक्षा की गयी थी कि मध्यप्रदेश, बिहार तथा दिल्ली राज्यों को गन्तब्य दर्शाते हुये जो धान का परिवहन घोषित किया जा रहा है, उसकी गहराई से जाँच की जाये ।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये थे कि धान पर हो रहे करापवंचन की रोकथाम हेतु परिवहित किये जा रहे धान के वाहनों की अधिक से अधिक जाँच कराते हुये बिलों का संग्रहण किया जाये तथा उसकी तत्काल आनलाइन फीडिंग की जाये । करनिर्धारण अधिकारियों से ऐसे बिलों का तत्काल सत्यापन कराते हुये अनियमितता पाये जाने पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराये । मण्डी समिति से भी सूचना संकलित करते हुये तथा मण्डियों की जाँच करते हुये एवं रेलवे से भेजे जाने वाले माल की भी सूचना संकलित करते हुये अनियमितता पाये जाने पर प्रभावी कार्यवाही कराई जाये । प्रवर्तन इकाईयों को इस संबंध में दक्षता से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये ।

इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आये है कि मुख्यालय द्वारा धान के संबंध में पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि धान के मूवमेण्ट की उक्त परिप्रेक्ष्य में गहनता से जाँच कराया जाना सुनिश्चित कराते हुये पत्र के साथ संलग्न प्रारूप-1 व 3 की सूचना मुख्यालय के सचल दल अनुभाग व प्रारूप-2 व 4 की सूचना वि०अनु०शा० अनुभाग को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक पृथक-पृथक रूप से भेजना सुनिश्चित करें ।

भविष्य में दिये गये उक्त निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता पाये पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर रुख अपनाया जायेगा ।

संलग्नक :: निर्धारित प्रारूप

(रघुबीर)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

